भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 6212
दिनांक 02.04.2026 को उत्तर के लिए नियत

मध्य प्रदेश में एम.एस.एम.ई. इकाइयों का संवर्धन

6212. **श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहानः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश में उद्योगों के माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है और मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई) के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सरकार के सहयोग से औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए किसी विशेष नीति या प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजनाओं के अंतर्गत अब तक कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं और मध्य प्रदेश में कितने युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 24 के अंतर्गत रतलाम-झाबुआ-अलीराजपुर क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना और एम.एस.एम.ई इकाइयों के संवर्धन के लिए कोई विशेष पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग): मध्य प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में उद्योगों के माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही स्कीमों और कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:

i. एमएसएमई मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से, बैंक ऋण पर मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में उद्यमियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) क्रियान्वित कर रहा है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को उनके स्थान पर ही स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्कीम की शुरुआत से अर्थात वित्तीय वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक (दिनांक 30.03.2026 तक), मध्य प्रदेश में पीएमईजीपी के अंतर्गत 1,725.45 करोड़ रुपये के एमएम सब्सिडी से 51,984 सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है, जिससे लगभग 4.31 लाख व्यक्तियों के लिए अनुमानित रोजगार अवसर सृजित हुए हैं।

ii. वर्ष 2020 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को परिभाषित करने के लिए निवेश और कारोबार के दोहरे मानदंडों पर आधारित एक परिभाषा को अपनाया गया था। एमएसएमई के पंजीकरण के लिए, दिनांक 01.07.2020 को उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल (यूआरपी) शुरू किया गया था। इसके अतिरिक्त, अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई)को औपचारिक बनाने के लिए, दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) शुरू किया गया था। दिनांक 01.07.2020 से 28.02.2026 तक उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल (यूआरपी) और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) पर पूरे भारत में 7,83,02,882 उद्यम पंजीकृत किए गए हैं; मध्य प्रदेश में 4,827,725 पंजीकृत किए गए हैं।

iii. दिनांक 08.04.2015 को शुरू की गई प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि छोटे उद्यमियों को सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) अर्थात अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों (एमएफआई) द्वारा संपार्श्विक मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान किया जाता है। पीएमएमवाई के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों के दौरान, अर्थात अप्रैल 2022 से मार्च 2025 तक पूरे देश में कुल 18.37 करोड़ ऋण दिए गए हैं।

iv. देश के स्टार्टअप पारितंत्र में नवाचार, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक सुदृढ़ पारितंत्र बनाने के लिए 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की गई थी। स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत, सरकार तीन प्रमुख स्कीमें क्रियान्वित कर रही है यथा फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस), और क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स (सीजीएसएस) ताकि विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के अलग- अलग चरणों में वित्तपोषण के अवसर प्रदान किए जा सके और उन्हें सहायता दी जा सके। एफएफएस के अंतर्गत, दिनांक 31 जनवरी 2026 तक, 12,362.70 करोड़ रुपये प्रतिबद्ध (सकल प्रतिबद्धताएं) और वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) द्वारा 6,829.47 करोड़ रुपये का संवितरण/निकासी किया गया है। एसआईएसएफएस के अंतर्गत, दिनांक 31 जनवरी 2026 तक, 945 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं और चयनित इनक्यूबेटरों को 575 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं। सीजीएसएस के अंतर्गत, दिनांक 31 जनवरी 2026 तक, स्टार्टअप ऋणकर्ताओं के लिए 925.90 करोड़ रुपये के ऋण की गारंटी दी गई है।

v. एमएसएमई मंत्रालय देश भर में एमएसई को संपार्श्विक या तृतीय-पक्ष की गारंटी के बिना दिए गए हेतु क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत गारंटी कवरेज की सीमा 10 करोड़ रुपये है। स्कीम की वर्ष 2000 में शुरुआत से दिनांक 28.02.2026 तक क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत देश भर में 13,16,741 करोड़ रुपये के कुल 1,39,39,040 क्रेडिट गारंटी स्वीकृत किए गए हैं। इसी अवधि के दौरान, मध्य प्रदेश राज्य में 60,367 करोड़ रुपये के 6,67,050 क्रेडिट गारंटी स्वीकृत किये गये हैं।

vi. आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष की स्थापना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में इक्विटी फंडिंग के रूप में 50,000 करोड़ रुपये डालने के लिए की गई है, जिसमें भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपये और निजी इक्विटी/उद्यम पूंजी कोष के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बजट 2026-27 में सूक्ष्म उद्यमों को सहायता जारी रखने के लिए वर्ष 2021 में स्थापित एसआरआई फंड को बढ़ाने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की सहायता की भी घोषणा की गई है। एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2021 में इसकी शुरुआत से दिनांक 28.02.2026 तक, कुल 71 अनुषंगी फंड को एनवीसीएफएल अर्थात मूल निधि के साथ पैनलबद्ध किया गया है। एसआरआई कोष द्वारा कुल 17,438 करोड़ रुपये की धनराशि के निवेश के माध्यम से 731 एमएसएमई को सहायता दी गई है। जिसमें से मध्य प्रदेश में 7 एमएसएमई को कुल 49.30 करोड़ रुपये के निवेश से सहायता प्रदान की गई है।

(घ): लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 24 के अंतर्गत आने वाले रतलाम-झाबुआ-अलीराजपुर क्षेत्रों सहित पूरे देश में उद्योगों की स्थापना और एमएसएमई इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत सरकार द्वारा की गई पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. अधिकतम परियोजना लागत को विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करना।

ii. अंतर्गत उच्च सब्सिडी के लिए पात्र विशेष श्रेणी के आकांक्षी जिलों के आवेदकों और ट्रांसजेंडर आवेदकों को शामिल करना।

iii. एमएसएमई को ऋण देने पर आरबीआई के मास्टर दिशानिर्देशों के अनुसार, 20 लाख रुपये तक की ऋण वाली परियोजनाओं के लिए बैंकों द्वारा किसी भी संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, एमएसई ऋणकर्ताओं में इकाइयों को 25 लाख रुपये तक के ऋण के लिए क्रेडिट निर्णय लेने हेतु निर्धारित समयसीमा को 14 कार्य दिवस से ज्यादा अद्ययतित नहीं किया गया है।

iv. भावी लाभार्थियों की पहचान करने और आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक मार्गदर्शन तथा पथ–प्रदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए पिछड़े और कम कार्य-निष्पादन वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन।

v. आवेदकों को वास्तविक समय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य/मंडल कार्यालयों में पीएमईजीपी हेल्पडेस्क की स्थापना करना।

vi. हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर 19 क्षेत्रीय भाषाओं में लाभार्थियों से भौतिक रूप में पीएमईजीपी आवेदन स्वीकार करना।

vii. विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक और सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाएं स्थापित करने के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत किसी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।

viii. भावी पीएमईजीपी उद्यमियों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम और वेबिनार आयोजित करना, जिसका उद्देश्य उनके प्रबंधकीय, तकनीकी और व्यावसायिक कौशल को विकसित करना और सुधारना है।

ix. प्रस्तावों की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न उद्योगों पर 1,000 से अधिक मॉडल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की एक विस्तृत श्रृंखला तैयार की गई है और इन्हें पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।

x. पीएमईजीपी सहित सरकार की विभिन्न पहलों के बारे में भावी उद्यमियों को शिक्षित करने के लिए बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता शिविर और ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

xi. पीएमईजीपी के अंतर्गत डेयरी, कुक्कुट पालन, जलीय कृषि, कीट पालन (मधुमक्खी, रेशम उत्पादन, आदि) जैसी और गतिविधियों पशुपालन के अंतर्गत अनुमति देने के लिए नकारात्मक सूची को संशोधित किया गया है।
